कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम,
बेलतला, गुवाहाटी-781029

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), ASSAM,
MAIDAMGAON, BELTOLA, GUWAHATI-781029

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

दिनांक:07/01/2023

परिपत्र संख्या : 10

सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर नियमों के सार-संग्रह के नियम 51 के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि सरकारी सेवकों को दिए गए यात्रा भत्ते (टीए) अग्रिम की राशि दौरे के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर या जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी दौरे के पूरा होने के बाद ड्यूटी पर वापस आ जाता है, उस दिन समायोजित (adjusted) की जाएगी । सरकारी कर्मचारी को अग्रिमों पर नियमों के सार-संग्रह के नियम 2 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय (GID) 2 भी यह निर्धारित करते हैं कि जिन मामलों में समायोजन बिल निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, उन मामलों में, निर्धारित समय की अवधि की समाप्ति पर भविष्य निधि शेष पर सरकार दवारा अनुमत ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज के साथ पूरी राशि की एकमुश्त वसूली की जा सकती है।

सभी से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर नियमों के सार-संग्रह के नियम 51 के अनुसार यात्रा भत्ते (टीए) बिल प्रस्तुत करें।

ह/-
वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशासन)

दिनांक:07/01/2023

Entt./Au/TA-Policy/8-7/2021-22/1356-1364

प्रति:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. नि.स., वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी-I)
3. नि.स., उप महालेखाकार (एएमजी-II)
4. नि.स., उप महालेखाकार (एएमजी-III)
5. नि.स., उप महालेखाकार (एएमजी-IV)
6. सभी शाखा अधिकारी (नियंत्रण)- परिचालन के लिए
7. शाखा अधिकारी /आई एस डब्ल्यू -कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
8. कार्यालय आदेश फाइल
9. सूचना पट्ट

ह/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हकदारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), असम,
बेलतला, गुवाहाटी – 781 029
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), ASSAM
MAIDAMGAON, BELTOLA, GUWAHATI-781 029

Circular No.10 Dated: 07 /02/2023

In terms of Rule 51 of Compendium of Rules on advances to Government servants, the internal audit has observed that the amount of travelling allowances (TA) advance granted to Government Servants shall be adjusted within 15 days from the completion of tour or the date on which the Government servant resumes duty after completion of tour. Government's of India decisions (GID)2 below Rule 2 of Compendium of Rules on Advances to Government servant also stipulates that in cases where the adjustment bill is not submitted with in prescribed time, the entire amount of advance may be recovered one lump sum immediately on expiry of such time along with interest @ 2% over the interest rate which is allowed by the government on the provident fund balances.

All are requested to submit the TA Bills as per Rule 51 of Compendium of Rules on advances to Government servants

Sd/-
Sr. Deputy Accountant General (Admin)

Entt./Au/TA-Policy/8-7/2021-22/1356-1364 Dated: 07 /02/2023

Copy to:

1) Secretary to PAG
2) PA to DAG(Admn & AMG-I)
3) PA to DAG(AMG-II)
4) PA to DAG(AMG-III)
5) PA to DAG(AMG-IV)
6) All Branch officers (Controlling)- for circulation
7) BO/Isw for uploading the content on Official website
8) Office order File
9) Notice Board

07/02/23
Sr. Audit Officer/Entt